अपील/Rems/2017/00008

राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : चेतन देवडा आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–02/2017

दायर दिनांक–06.03.2017
निर्णय दिनांक–03.07.2019

श्री तुलसीराम पिता श्री रतना दर्जी, निवासी दीवडावडा तहसील गलियाकोट व जिला डूंगरपुर

–– अपीलार्थी

बनाम

1. श्री मणीलाल पिता श्री रतना दर्जी, निवासी दीवडाछोटा तहसील गलियाकोट व जिला डूंगरपुर
2. ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत दीवाडा बडा, तहसील गलियाकोट व जिला डूंगरपुर
3. सरपंच, ग्राम पंचायत दीवडाबडा, तहसील गलियाकोट व जिला डूंगरपुर

––रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री प्रकाश पटेल – अपीलान्ट
2. श्री संजीव भटनागर – रेस्पोडेन्टगण

:: निर्णय ::

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं.1 सगे भाई हैं। अपीलान्ट मूलतः दिवडाबड़ा का निवासी हैं व रेस्पोडेन्ट नं.1 विगत 40 वर्ष से गांव दीवडाछोटा में निवास कर रहा हैं। अपीलार्थी के ग्राम पंचायत दीवाडाबडा द्वारा दिनांक 26.11.1981 को आवंटित भूमि का विक्रय विलेख 30X45 वर्ग फीट का जारी किया गया था जिसके आस–पडौस निम्नानुसार हैं :–

पूर्व	–	खुद का रास्ता
पश्चिम	–	श्री मणीलाल जैन की भूमि
उत्तर	–	अपीलार्थी का मकान
दक्षिण	–	श्री भूरा/नाथू पाटीदार का मकान

अपीलार्थी के कथनानुसार आवंटन दिनांक 26.11.81 अपीलार्थी ही इस पर काबिज हो उपभोग/उपयोग कर रहा है। रेस्पोडेन्ट नं.1 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध माननीय वरिष्ठ सिविल जज न्यायालय सागवाडा में एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया कि वह उसके स्वामित्वके ग्राम दिवडाबडा के भू–खण्ड पर अतिक्रमण नहीं करे इत्यादि। वाद में अंकित तथ्यों से उसे ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट नं. 1, रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 से मिलकर भू–खण्ड का बापी पट्टा नं. 23 दिनांक 05.04.2012 उसके पक्ष में जारी करवा उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय सागवाडा में दिनांक 26.02.2013 को 35X74 भूमि कुल 2590 वर्गफीट का करवा लिया हैं जिसके आस–पडौस निम्न प्रकार दर्शाये हैं :–

पूर्व	–	आम रास्ता
पश्चिम	–	श्री प्रकाश/मणीलाल जैन की भूमि
उत्तर	–	श्री तुलसीराम दर्जी का मकान
दक्षिण	–	श्रीमती गंगादेवी/भूरा पाटीदार का मकान

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 ने इस बापी पट्टे की नकले चाहने पर जवाब प्राप्त हुआ कि मिसल प्रति पुरानी मीसल फाईल में ढूंढने पर प्राप्त नहीं हुई हैं, तब अपीलार्थी ने उप पंजीयक सागवाडा के वहां पंजीकृत पट्टा विलेख की 17.01.2017 को प्रतियां प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की हैं। उप पंजीयक सागवाडा से प्राप्त दस्तावेज से ज्ञात हुआ की पटवारी पटवार मण्डल दिवडा बडा ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 को दिवडा बडा को मूल निवासी बता अपीलार्थी को पूर्व में जारी दिनांक 26.11.1981 के पट्टे की पडौस की भूमि ही कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बापी पट्टा रेस्पोडेन्ट नं.1 के नाम जारी कर दिया। रेस्पोडेन्ट नं.1 के विगत 40 वर्ष से ग्राम दिवडा छोटा में निवास करने की पंचायत मतदाता सूची व नल बील कनेक्शन से प्रमाणित हो रही हैं। उक्त पूर्व में जारी आवंटन के पश्चात इस अवैधानिक तरीके से जारी बापी पट्टे को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत अपील में राहत चाही हैं।

प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 05.07.2017 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया हैं।

हमारे द्वारा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 की बहस समायत की गई। वकील अपीलार्थी कथन है कि श्री तुलसीराम अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री मणीलाल दोनो सगे भाई है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री मणीलाल विगत 40 वर्ष से दिवडा छोटा में निवास कर रहा हैं। सारे दस्तावेज बिजली बिल, राशन कार्ड, नल बिल, वोटर लिस्ट की प्रति पेश की हैं जिसमें उसे दिवडाछोटा में ही अब निवास करना बताया हैं। इसी ग्राम पंचायत द्वारा 26.11.1981 को अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा 30X45 वर्ग फीट का जारी किया गया जिसमें झौपड़ी के रूप में कब्जा कर वह उपभोग कर रहा हैं। रेस्पोडेन्ट नं. 2, 3 व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने वर्ष 2012 में मिलकर बापी पट्टा इसी भूमि का पट्टा नं. 23 दिनांक 05.04.2012 जारी करा दिनांक 26.02.2013 को उप पंजीयक के वहां पंजीयन भी करा दिया गया। बिना किसी जांच या छानबीन किए मेरी पूर्व में आवंटित भूमि का ही पट्टा देकर विवाद खड़ा किया गया हैं। यह पट्टा प्रारम्भ से ही शुन्य होने से पंजीयन भी स्वतः शुन्य हैं। अतः पट्टा दिनांक 05.04.2012 जो रेस्पोडेन्ट नं.1 को जारी किया हैं उसे निरस्त करने निवेदन किया हैं।

रेस्पोडेन्ट नं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अवगत कराया है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री मणीलाल ग्राम दिवडाबडा का ही रहने वाला हैं। उसकी ग्राम दिवडाबडा में शामलात में कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड हैं। प्रापर्टी अन्य ग्राम में होने से वहां का रहवासी नहीं हो जाता है। वह मूलतः दिवडाबडा का ही निवासी हैं। रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 ने पुरी प्रक्रिया अपनाते पट्टा जारी किया हैं। आवेदन, शपथ–पत्र, बैठक कार्यवाही विवरण, मौका निरीक्षण उपरान्त पट्टा जारी किा है। दोनों पट्टे की भूमि अलग–अलग हैं। अपीलार्थी का पट्टा अपंजीकृत हैं। अपीलार्थी के आवंटन का कोई रेकार्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं। अपील खारीज करने निवेदन हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

हमारे द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख व ग्राम पंचायत से तलब की गई श्री मणीलाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 को जारी बापी पट्टे की पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि प्रथमतः अपीलार्थी तुलसीराम दिवड़ाबडा में रहता है जो उनके द्वारा प्रस्तुत ए.वी.वी.एन.एल. के विद्युत बिल, निर्वाचक पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनता जल प्रदाय योजना की रसीदों से प्रमाणित होता हैं। रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री मणीलाल ने अपने दिवड़ा बडा के निवासी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया बल्कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात ए.वी.वी.एन.एल. के बिजली बिल, मतदाता सूची, पंचायत जोब कार्ड, निर्वाचक नामावली 2014 से मणीलाल के दिवड़ा छोटा का निवासी होन पाया जाता हैं। अपीलार्थी का दिवड़ा बडा एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 का दिवडा छोटा के रिहायशी मकान होना पाया जाता हैं। चूंकि श्री मणीलाल रेस्पोडेन्ट दिवडाबडा में निवास नहीं करता हैं एवं स्वयं का निवास दिवडा छोटा में हैं। प्रश्नगत पट्टे की भूमि उसके बाप–दादाओं के कब्जे मे होने एवं इस आधार पर बापी पट्टा जारी कराने का हकदार होने बाबत पंचायत की आवंटन पत्रावली में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अतः वह बापी पट्टा के आधार पर रियायती भूमि आवंटन का कानूनन हकदार नहीं हैं। उसका आवंटन बापी पट्टा नं. 23 दिनांक 25.04.2012 साईज 35X74 वर्गफीट निरस्त योग्य हैं। साथ ही अपीलार्थी का भी दिवडाबडा में स्वयं का आवासीय मकान हैं। प्रश्नगत भू–खण्ड के स्वयं के आवंटन बाबत ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो साक्ष्य में ग्राहय किया जा सके एवं स्वयं का एक आवासीय मकान होने से वह भी रियायती दर पर भू–खण्ड आवंटन का हकदार नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा दियायती दर पर या निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रवधान उन गरीबों के लिए है जो भूमीहीन हैं ताकि उन्हें भूखण्ड उपलब्ध हो सके।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम ग्राम पंचायत दीवाड़ा बडा द्वारा दिनांक 05.04.2012 को जारी बापी पट्टा संख्या 23 को नियम विरूद्ध होने तथा प्रारम्भ से ही शून्य होने से एतद्द्वारा निरस्त किया जाता हैं एवं ग्राम पंचायत दिवडाबडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार इस भू–खण्ड का निलामी के जरिये निस्तारण किया जावें। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 को उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जा करने, कोई निर्माण करने से रोका जाकर पावंद किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राजस्थान)

03/7/19

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

Scanned by CamScanner